पत्रांक –1/प्रा0आ0–38/2013/ 4187 /आ0प्र0
बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

(8)

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी।

पटना–15, दिनांक– 24/11/14

विषयः– **बाढ़ के दौरान सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–214/आ0प्र0, दिनांक–07.08.2014 के प्रसंग में कहना है कि पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक–68/सा0पुन0 दिनांक–06.08.2002 के आलोक में बाढ़ के समय सर्पदंश से यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो मृतक के निकटतम आश्रित को साहाय्य मानदर के अनुरूप उस समय के निर्धारित दर (घटना की तिथि को जो दर लागू था) के अनुरूप अनुग्रह अनुदान भुगतेय होगा। ऐसी स्थिति में वर्ष 2007 के बाढ़ में मृतक के आश्रित को 1.00 लाख रूपये का अनुग्रह अनुदान दिया जाना विधि सम्मत् होगा।

अतएव, सर्पदंश से मृत व्यक्ति के आश्रित को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने हेतु विभाग से राशि की अधियाचना करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(अनिरूद्ध कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक– 4187 /आ0प्र0, पटना–15 दिनांक– 24/11/14

प्रतिलिपि–सभी जिला पदाधिकारी, बिहार (सीतामढ़ी को छोड़कर) को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

D:\2014\yojna 2014\letter 20-11-14 spe.. sec.docx